शासकीय नौकरियों में मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए?

लिखित परीक्षा करा ने के बाद, पास हुए विद्यार्थियों को मय इंटरव्यूह ही पात्र होना चाहिए

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया लिखित आवेदन

अंकसूची में मेरिट को आधार मानने से पात्र प्रतियोगियों के वंचित होने के संदर्भ में समक्ष नोटरी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया

न्यायसाक्षी रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में तोमर सिंह, बालीराम साहू, कैलाश निराला, एवं मनमोहन रात्रे ने शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन उक्त विषयांकित एवं संदर्भित विषय पर स्वयं प्रस्तुत होकर दिया।

उन्होने कहा कि शासकीय नौकरियों में मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और लिखित परीक्षा कराने के बाद, पास हुए विद्यार्थियों को मय इंटरव्यूह पात्र होने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बहुत से लोगों को जो कि पात्र नहीं हैं, को इस प्रक्रिया में लाभ होता है, और वे लोग इस नियुक्ति से लाभांवित होते हैं, जो कि दरअसल त्रुटिपूर्ण हैं।

यहॉ यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि - बहुत सी प्राईव्हेट यूनिवर्सिटी भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रदान कर रही हैं, जिनके द्वारा लोक-लुभावने विज्ञापन किए जा रहे हैं, इन विज्ञापनों को देखकर बहुत से विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बहुत अधिक होती है, और इन सभी को उचित रीति से सही ज्ञान दिया जाना संभव नहीं होता है, लेकिन प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के लिए अपने रिज़ल्ट को अच्छा बनाए रखना भी मजबूरी है, ताकि आमदनी बनी रहे,, अतः इस तरह के प्राईव्हेट विश्वविद्यालय अपने यहॉ प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को अन्यथा ही अधिक अंक प्रदान करते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी आधार-भूत रुप से पात्र नहीं होते!!

इस प्रक्रिया में सही तरीके से पढकर और मेहनत से अंक लाने वाले और शासकीय विश्वविद्यालयों से पढकर एवं पास होकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद तकलीफदेह होता है, जब केवल अंको को देखकर ही शासकीय नौकरी प्राप्त हो तो, अतः इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को बदलना जरुरी है, जिसके लिए संज्ञान लिया जाना आवश्यक है, और जिस हेतु इस आवेदन की सामाजिक न्याय संघ को जो कि शासन से मान्यता प्राप्त संस्था है को देने की आवश्यकता हुई।

उन्होने अपने आवेदन में कहा कि कहा कि ऐसी भी सूचनाए हैं कि ये प्राईव्हेट विश्वविद्यालय क्रमशः यू0जी0सी0 , ए0आई0 सी0 टी0 ई0, एवं डी0ई0सी0 के द्वारा पारित एवं लागू, समस्त नार्म्स एवं कंडिशन को पालित नहीं करते और परीक्षाओं को अपनी एवं विद्यार्थी की सुविधानुसार संचालित कर रिज़ल्ट बना देते हैं, जैसे इन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्वयं परीक्षाओं को कंडक्ट किया जाता है, और स्वयं अपने इम्पलाई के द्वारा ही उत्तरपुस्तिकाओं की जॉच की जाती है, ऐसी स्थिति में अपने स्वयं के विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा अंक दिया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है।

इसके साथ ही कई जगह ऐसी शिकायते मिली हैं, कि विद्यार्थियों को प्रश्न-पत्र परीक्षा के पूर्व ही ज्ञात होता है, जिससे भी उनके अंक अधिक आते हैं, इस प्रक्रिया में सही तरीके से पढकर और मेहनत से अंक लाने वाले और शासकीय विश्वविद्यालयों से पढकर एवं पास होकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद तकलीफदेह होता है, जब केवल अंको को देखकर ही शासकीय नौकरी प्राप्त हो तो,, अतः इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को बदलना जरुरी है।

अपने आवेदन में कहा कि शासकीय नियुक्तियों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कि केवल लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यूह के बाद ही आ सकती है, केवल अंको के आधार पर नियुक्ति किया जाना एवं नियुक्ति होना उचित नहीं है, इसके साथ ही किसी विद्यार्थी के बायोडाटा में ईन्टरव्यूह के समय यह भी देखा जाना चाहिए कि उसे 10 वी, 12 वीं, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन या एम0फिल0, आदि में किस प्रकार अंक मिले हैं, साथ ही यह भी कि जब वह शासकीय संस्थान में अध्ययनरत् था,, तब उसे क्या अंक प्राप्त हुए,, एवं जब उसने किसी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया,, तब उसे क्या अंक मिले, इस आवेदन के साथ कुछ प्रमाणित तथ्यों को भी प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि अवलोकनीय है।

अपने आवेदन के साथ उन्होने कुछ प्रमाणित तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे वीरेन्द्र यादव नामक व्यक्ति ने पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय से कला संकाय में ग्रेजुएशन किया और 49 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 76 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसीप्रकार शांति गोड़ के द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया गया, जिसमें उनको 47 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। शांति अचल के द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया गया, जिसमें उनको 46 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। लाईजिंग मिंज के द्वारा सरगुजा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया गया जिसमें उनको 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसके बाद उनके द्वारा प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उनको 72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए।

इससे जाहिर है कि डिग्री बॉटने को गोरखधंधा किस गति से चलायमान है, और इससे पात्र विद्यार्थियों में असंतोष बढ रहा है, और प्राईव्हेट विश्वविद्यालय की प्रवेश सूची में अन्यथा ईजाफा हो रहा है।

राईट टू इंफारमेशन के तहत् प्राप्त लिस्ट से जाहिर है, कोरबा जिले की 2016 की अंग्रेजी विषय की मुक्त सूची देखे तो जाहिर है कि अंग्रेजी मुक्त 10 पद में से 01 गुरुघासीदास विश्वविद्यालय, 01 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय एवं 01 पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय से आए हैं, शेष एवं प्रथम, द्वितीय सर्वोच्च अंक भी प्राईव्हेट विश्वविद्युालय के छात्रों को ही प्राप्त हुआ है। जो कि प्रमाणित तथ्य है, जिसपर न्यायोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जिनके 10वी0 , 12वी एवं ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक बेहद कम हैं। कोरबा जिले की 2016 की अंग्रेजी विषय की मुक्त सूची ''महिला'' देखे तो जाहिर है कि अंग्रेजी विषय में 06 पद में से 04 पद पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्र, यहॉ भी प्रथम द्वितीय सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय से है। अंग्रेजी मुक्त (निःशक्त) में 01 पद है, और उसमें भी प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्र का सिलेक्शन हुआ है, - अंग्रेजी मुक्त (भूतपूर्व सैनिक) में 02 पद है, और उन दोनों पदों पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्र का सिलेक्शन हुआ है, अंग्रेजी मुक्त (अनु0 जाति) में 04 पद है, और उसमें सभी पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, अंग्रेजी मुक्त (अनु0 जाति महिला) में 02 पद है, और उसमें सभी पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, अंग्रेजी मुक्त (अनु0 जन0 जाति) में 13 पद है, और उसमें पूरे के पूरे 11 पर प्राईव्हेट विश्वविद्यालय के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, यहॉ यह भी विदित हो कि इनके 10 वी0 , 12वी एवं ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक बेहद कम हैं। ये सभी प्रमाणित तथ्य है, जिसपर न्यायोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जिस पर कार्यवाही करते हुए संघ ने समस्त दस्तावेजों के साथ 1/ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, चांसलर, राजभवन, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0 2/ श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0 3/ श्रीमान् प्रेमप्रताप पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री, रायपुर, छ0ग0 5/ श्रीमान् डा0 बी0एल0 अग्रवाल प्रमुख सचिव सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, रायपुर, छ0ग0 6/ श्रीमान् वाईस चांसलर, पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छ0ग0 7/ श्रीमान् वाईस चांसलर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0 8/ श्रीमान् वाईस चांसलर, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ0ग0 9/ श्रीमान् वाईस चांसलर, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग, छ0ग0 10/ श्रीमान् वाईस चांसलर, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छ0ग0 को लिखित में पत्र भेजा है, जिस पर कार्यवाही होने की पूरी सम्भावना व्यक्त की गई है।

उक्त के अलावा भी बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जिन पर कार्यवाही अपेक्षित हैः -

1 क्या डिस्टेंस लर्निंग एवं नियमित कोर्स को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए?

2 डिस्टेंस लर्निंग से पास विद्यार्थियों को पद में नियुक्त किए जाने के पूर्व लिखित परीक्षा लिया जाना क्या बेहतर विकल्प नही है?

3 इस विषय की जॉच की जानी चाहिए कि क्या इस तरह के विश्वविद्यालयराज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति से डिस्टेंस लर्निंग कोर्स संचालित कर रहे हैं? यदि हॉ तो जिस विषय हेतु अनुमति प्रदान की गई है, क्या उसके अलावा अन्य कोर्स में प्रवेश लिया जाकर डिग्री बॉटी जा रही है? यदि नहीं तो कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

4 क्या निजी विश्व विद्यालयों के द्वारा समस्त नियमों का पालन एवं अनुपालन किया जा रहा है, जॉच की जा रही है?

5 उक्त प्रस्तुत उद्धरण के अलावा भी बहुत से सम्बंधित सत्य उद्धरण हैं, जिनकी जॉच किया जाकर कार्यवाही अपेक्षित है।

4,81000 की ठगी का प्रकरण

और भी है ऐसे प्रकरण तत्काल कार्यवाही की मांग

न्यायसाक्षी रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में श्रीमती योगमाया साहू , जौ0जे0 श्री विरेन्द्र कुमार साहू , उम्र 29 वर्ष लगभग निवासी ई 97 ऊर्जानगर कॉलोनी, जिंदल पावर लिमिटेड पोस्ट तमनार, रायगढ़, ने कहा कि बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल रायपुर के द्वारा बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड ग्राम बोरियाकला हेतु शिव कुमार श्रीवास , की जमीन का जो कि प0ह0नं0 117/53 रा0नि0मं0 के खसरा नं0 1540 के एक भाग, जिसका रकबा 2500 वर्ग फुट था, को खरीदे जाने की अनुशंसा की जा रही थीं।

आवेदन में कहा कि उक्त बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल के द्वारा नियुक्त ऐजेन्ट सरोज एवं राज थें। जो कि मेरे रिश्तेदार चाचा के पहचान के थें, जिनके द्वारा उक्त जमीन के सम्बंध में मुझे बताया गया, जो कि मुझे उचित एवं स्वीकार्य किए जाने योग्य सौदा लगा।

योगमाया ने बताया कि मेरे पति श्री वीरेन्द्र साहू ने भी उक्त सौदे हेतु सहमति जाहिर की और हमारे द्वारा उक्त बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल के ऐजेन्ट सरोज एवं राज को इस हेतु रु0 4,81,000/ अक्षरांक चार लाख इक्यासी हजार रुपये चेक द्वारा प्रदान किए गए।

उक्त रकम को मेरे एसबीआई बैंक के., एकाउंट नं0 32247651502, द्वारा रु0 4,00,000/ अक्षरांक चार लाख रुपये को दिनॉक 14/03/2013 को चार चेक की शक्ल में, जिसमें 1 लाख रु0 के तीन चेक क्रमांक 392326, 392328, एवं 392327,एवं 01 चेक क्रमांक 392329, रु. 81000/- ईक्यासी हजार नगद प्रदान किया गया था, इस सम्बंध में एक ईकरारनामा भी हमारे बीच हुआ, जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।

कहा कि बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल एवं उसके द्वारा नियुक्त ऐजेन्ट सरोज एवं राज ने हमसे रकम ले ली लेकिन किसी और के नाम से उक्त जमीन की रजिस्ट्री करा दी, जिसकी जानकारी हमें 20/04/2014 को हुई। ऐसी जानकारी होने के बाद जब हमने अपने द्वारा प्रदत्त रकम को ऐजेन्ट सरोज एवं राज से वापस मांगा तो उन्होने कहा कि रकम तो बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल को दे दी गई है। जिसपर हमने उक्त बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल से अपनी रकम को वापस मांगा तो उन्होने कहा कि मुझे कोई रकम नहीं मिली आपने जिसको दिया है, उससे वापस मांगिए, और इस सम्बंध में मुझे दुबारा परेशान नहीं करें!! जब हमने कहा कि वो दोनों सरोज एवं राज आपके ऐजेन्ट हैं, तो उन्होने कहा कि मेरे 50 ऐजेन्ट घूम रहें हैं मार्केट में, मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हूॅ!!

आवेदन में कहा कि ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा लगातार अपनी रकम के लिए ऐजेन्ट कोमल एवं राज से मिन्नतें की गई तो उनके द्वारा हमें एक चेक क्रमांक 920185, दिनॉक 25/04/2014, बैंक इंडुसिंड रु0 4,81,000/ अक्षरांक चार लाख इक्यासी हजार रुपये का दिया गया, जिसे हमारे द्वारा अपने खाते से लगाए जाने पर चेक बाउंस् हो गया, उक्त सम्बंध में हमारे द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही संस्थित की गई है।

कहा कि समान आशय बनाकर जमीन के बिक्रीकर्त्ता को दर्शा कर जमीन को बेचे जाने का सौदा कर इस सम्बंध में ईकरारनामा जारी किया जाकर ''ठगी'' एवं जालसाजी की जा रही है, जो कि उक्त बिल्डकॉन प्राईव्हेट लिमिटेड के डायरेक्टर अग्रवाल एवं उसके द्वारा नियुक्त ऐजेन्ट सरोज एवं राजकश्यप ने हमारे साथ किया है, जो कि पूर्णतः अनुचित है और संज्ञान लिए जाने योग्य है।

कहा कि जॉच किए जाने पर इस प्रकार के प्रकरण और भी सामने आऐंगे, ऐसा हमें लगता है, अतः यह आवेदन आपके समक्ष आपराधिक प्रकरण दर्ज कर न्यायोचित कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

जिसपर कार्यवाही करते हुए संघ ने समस्त दस्तावेज के साथ प्रकरण को माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन के साथ मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आई0जी0 रायपुर आई0जी0 बिलासपुर रेंज, एस0पी0 महोदय, रायपुर, एस0पी0 महोदय, रायगढ़, ,एवं थाना प्रभारी, थाना तमनार, को दस्तावेजों के साथ पत्र प्रेषित किया हैं। जिसपर कार्यवाही होने की पूरी सम्भावना है।

कार्यवाही कराकर न्याय दिलाया जावे : सूर्यलाल साहू

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया लिखित आवेदन

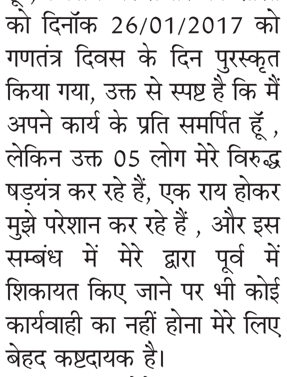

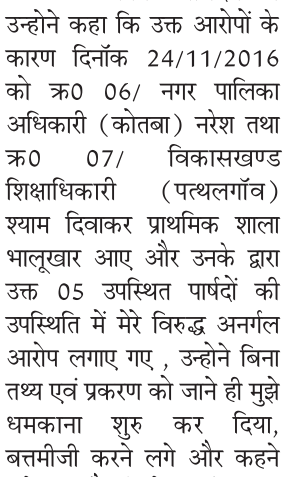

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार - 2016

(विद्यालय में उत्कृष्ट जल, सफाई व स्वच्छता)

Govt. Ps. BHALUKHAR, Bl-Pathalgaon, I

(UDISE Code: 22021305615) को

विद्यालय में जल, सफाई व स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ विद्यालय के महत्वपूर्ण घटक Urban Elementry Operations में and Maintainence उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए

जिला स्तरीय "स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016"

प्रदान किया जाता है।

न्यायसाक्षी रायगढ़। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में सूर्यलाल साहू आ0 श्री आनंद राम साहू , उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम भालूखार (कोतबा) तहसील पत्थलगॉव, चौकी कोतबा, जिला जशपुर, छ0ग0 द्वारा कहा गया कि मैं नगर पंचायत कोतबा, जो कि तहसील पत्थलगॉव के तहत् आता है, में शासकीय प्राथमिक शाला भालूखार में सहा0 शिक्षक (पंचा) के तहत् प्रभारी प्रधान पाठक के रुप में पदस्थ रहा। मेरी नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्थलगॉव के द्वारा दिनॉक 18/07/2000 को हुई थीं। जिसके दस्तावेज संलग्न किए।

उन्होने बताया कि जिसका नियमितिकरण दिनॉक 01/05/2005 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पत्थलगॉव द्वारा किया गया।

अपने आवेदन में उन्होने कहा कि मेरे विरुद्ध नगर पंचायत कोतबा के पार्षद दुर्गामती सिदार जो कि वार्ड क्रं 01 से हैं, एवं पार्षद क्र0 02/ पयर सैय खड़िया जो कि वार्ड क्रं0 06 से हैं , एवं पार्षद क्र0 03/ श्रीमती कर्तिक सिदार जो कि वार्ड क्रं0 03 से है एवं क्र0 04/ पैतम्बर पैकरा, पार्षद के द्वारा षड़यंत्र किया गया, जिसमें सक्रिय भूमिका क्र0 05/ शर्मा के द्वारा जो कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा अदा की गई।

आवेदन में लिखा है कि मैं एक शिक्षक हूॅ , और मेरा काम बच्चों को शिक्षा देना एवं उनका भविष्य उज्जवल करना है, जो कि मेरे द्वारा बेहद गंभीरता के साथ किया जा रहा है, इसके प्रमाण हेतु मैं इस आवेदन में इस पुरस्कार का उल्लेख करना चाहता हूॅ , जिसमें मेरे प्रभार की शाला को दिनॉक 26/01/2017 को गणतंत्र दिवस के दिन पुरस्कृत किया गया, उक्त से स्पष्ट है कि मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित हूॅ , लेकिन उक्त 05 लोग मेरे विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे हैं, एक राय होकर मुझे परेशान कर रहे हैं , और इस सम्बंध में मेरे द्वारा पूर्व में शिकायत किए जाने पर भी कोई कार्यवाही का नहीं होना मेरे लिए बेहद कष्टदायक है।

उन्होने कहा कि उक्त 05 व्यक्तियों के द्वारा एकराय होकर समान आशय से मुझे फर्जी क्रियांन्वन किए जाने का दोषी बनाने के लिए यह जाहिर किया गया कि ''मेरे द्वारा वेतन पत्रक में फर्जी हस्ताक्षर किया गया!!'' जो कि पूर्णतः असत्य एवं फंसाने के लिए लगाया गया आरोप है, मैं पिछले 16 वर्ष से शासकीय कर्मचारी हूॅ और मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी तरह का प्रकरण आज तक संस्थित नहीं हुआ है और ना ही मुझे किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा है, मैं बेहद उचित तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूॅ और अपने शासकीय कार्य में कभी भी लापरवाही नहीं बरतता हूॅ।

अपने आवेदन में उन्होने कहा कि उक्त आरोपों के कारण दिनॉक 24/11/2016 को क्र0 06/ नगर पालिका अधिकारी (कोतबा) नरेश तथा क्र0 07/ विकासखण्ड शिक्षाधिकारी (पत्थलगॉव) श्याम दिवाकर प्राथमिक शाला भालूखार आए और उनके द्वारा उक्त 05 उपस्थित पार्षदों की उपस्थिति में मेरे विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाए गए , उन्होने बिना तथ्य एवं प्रकरण को जाने ही मुझे धमकाना शुरु कर दिया, बत्तमीजी करने लगे और कहने लगे कि नौकरी से बर्खास्त कर देंगें!! , उठाकर ले जायेगें!! , उनके द्वारा शाला की पंजियों को एवं उत्तरपुस्तिका (अर्धवार्षिक परीक्षा की) जबरदस्ती ले जाया गया,, (अवलोकनार्थ पावती) जो कि मेरे द्वारा केवल इसलिए ली गई कि मैं आने वाले समय में मेरे विरुद्ध होने वाले षड़यंत्र एवं आरोपो का जवाब दे सकूॅ अपने आवेदन के साथ उन्होने इस सम्बंध के समस्त पावती संलग्न की है। उक्त फर्जी , झूठे एवं अन्यथा आरोप के कारण मुझे दिनॉक 07/02/2017 को कार्यालय नगर पंचायत कोतबा के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद मैंने दिनॉक 11/02/2017 को कार्यप्रभार दिया जाकर दिनॉक 13/02/2017 को आदेश के परिपालन के तहत् विकासखण्ड कार्यालय पत्थलगॉव में कार्यप्रभार ग्रहण कर ''ज्वाईन'' किया गया।

उन्होनें कहा कि मेरे द्वारा उक्त सम्बंध में लिखित में पूर्व में, जो शिकायत प्रस्तुत की गई थीं, उसके कारण उक्त दिवाकर ने मुझे अपने चेम्बर में बुलाकर डराया !! कहा कि शिकायत करते हो,, हम सब मिलकर बयान दे देगें तो अंदर हो जाओगे,, सोचो फिर तुम्हारे बीबी बच्चों को क्या होगा,, जो कि अपने शासकीय पद का दुरुपयोग है, जिसपर भी आपके द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।

उन्होने कहा कि मैने पूर्व के अपने आवेदन में आपके समक्ष लिखित में बताया था कि मेरा वेतन रोका गया, जिसे सामाजिक न्याय संघ के समक्ष शिकायत के बाद मुझे नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2016 का वेतन दिनॉक 20/01/2017 को दिया गया, जिसे मेरे द्वारा 23/01/2017 को आहरित किया गया, जिससे भी मेरे द्वारा किए गए कथन प्रमाणित होते हैं। अपने आवेदन में पीड़ित ने कहा कि उक्त समस्त क्र 01 से 07 के द्वारा मुझे सार्वजनिक रुप से स्कूल में बच्चों के सामने एवं मेरे स्कूल के समस्त स्टाफ के सामने प्रताड़ित किया गया, बेहद अपमानित किया, और अब पुनः मेरा वेतन रोका जा रहा है, जबकि मैं शासन के आदेशों के परिपालन में झूठे एवं फर्जी आरोपों के तहत् निलंबित होकर ''अटैच'' हूॅ , लेकिन नियमित कार्य कर रहा हूॅ ,, अतः क्र 01 से 07 के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, क्योकि मेरे विरुद्ध जॉच में कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया।

स्थानीय चौकी प्रभारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, शाला आकर पूछताछ नहीं की जा रही रविवार के दिन पूछताछ करने बुलाया जा रहा है, और गवाहों को कहा जा रहा है कि सूर्यलाल साहू का साथ मत दो, नहीं तो तुम लोग भी निलंबित हो जाओगे,, इसप्रकार सत्य को सामने आने से रोका जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। पुलिस के द्वारा आज दिनॉक तक इस सम्बंध में कोई न्यायोचित एवं निश्चित जॉच नहीं की गई , जो कि बेहद कष्टकारक है, किसी उच्च अधिकारी के द्वारा तत्काल जॉच कराए जाने का निवेदन स्वीकार हो।

जिस पर कार्यवाही करते हुए संघ ने समस्त दस्तावेजों के साथ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, एस0 पी0 जशपुर,मुख्य कार्यपालिका अधिकारी,नगर पंचायत कोतबा, थाना प्रभारी, थाना/चौकी कोतबा, को लिखित में पत्र भेजा है, जिस पर कार्यवाही होने की पूरी सम्भावना व्यक्त की गई

बालिका लापता

चक्रधर बाल सदन के बालिका गृह रायगढ़ में रहने वाली 17 वर्षीय बालिका 30 मार्च की रात 9 बजे से बालसदन में बिना किसी को बताये कहीं चली गई जिसे बाल सदन के कर्मचारियों द्वारा खोजबीन की गयी,परन्तु बालिका नहीं मिली । इस संबंध में बालसदन की अधीक्षिका कुमारी सविता साव द्वारा थाना कोतवाली रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363भादंवि दर्ज कर लिया गया।

दो बालिकाये एक साथ हुयी लापता

रायगढ सराईभद्दर में रहने वाली दो चचेरी बहनें उम्र क्रमशः 15 एवं 9 वर्ष 27 मार्च की रात करीब 8 बजे घर में बिना बताये कहीं चली गयी, जिसकी खोजबीन बालिका के परिजन अपने स्तर पर कर रहे थे, पता नहीं चलने पर कल चौकी जूटमिल में परिजन द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

ट्रेलर ने बाइक को मारी ठोकर दो घायल

रायगढ झिंगोल तमनार में रहने वाले जगमोहन राठिया आज सुबह 10 बजे करीब अपने मोटर सायकल हीरो होण्डा क्रमांक सी जी 13यु ई 3507 में अपने दोस्त मणीशंकर के साथ रायगढ सामान लेने जा रहा था कि कुछ ही दूरी पर गुनेघोल के पास ट्रेलर क्रमांक सी जी 13 एल 3851 का चालक जगमोहन राठिया की मोटर सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेट कर दिया । जिससे जगमोहन राठिया के बांया हाथए कोहनी, पंजा, दाहिना हाथ, आंख एवं कोहनी में तथा मणीशंकर के बांया पैर, घुटना, आंख में चोट आयी है । एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज कराने पर ट्रेलर चालक संतोष कुमार सिंह के विरूद्ध धारा 279,337 भादंवि दर्ज कर लिया गया ।

दिव्यांग की नाक काट ली

न्यायसाक्षी रायगढ। मामला साल्हेपाली घरघोडा का हे सौदागर राठिया 36 वर्ष दिव्यांग होने से घर पर ही रहता था 30 मार्च की रात्रि करीब 10.11 बजे उसने धीरज राठिया को मोहल्ले के अमूल सिंह के मोटर सायकल के पास खडे होकर कुछ शरारत करते देखा, जिसकी जानकारी उसने अमूल सिंह को दे दी । इस पर धीरज राठिया कल रात्रि करीब 9 बजे सौदागर राठिया को मेरी शिकायत करते हो कहकर गाली गलौच कर डंडे से मारपीट कर उसकी नाक को दांत से काट लिया । घटना की रिपोर्ट थाना घरघोड़ा में दर्ज कराये जाने पर आहत सौदागर राठिया का मुलाहिजा कराया गया, मुलाहिजा रिपोर्ट पर से धीरज राठिया के विरूद्ध धारा 294,506बी,323,324 भादंवि दर्ज किया गया ।

मोबाईल रिपेयरिंग स्टोर में चोरी

न्यायसाक्षी रायगढ। कनकबीरा मे रहने वाले हीरा सूया 25 वर्ष का ग्राम पंचायत कनकबीरा बाजार के पास स्थित व्यवसायिक परिसर में हीरा मोबाईल एवं कम्प्यूटर्स के नाम पर मोबाईल रिपेयरिंग और रिचार्ज व्हाचर की दुकान है । 29मार्च करिब 7 बजे रात्री हीरा सूर्या दुकान बंद करके घर आ गया था । सुबह करीब 8 बजे दुकान खोलने गया तो देखा दुकान का शटर का दोनों ताला टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो कोई दुकान में बिक्री के लिये रखा 23 नग जिओ मोबाईल कार्ड, 1 मनिटर, 1 की पैड, 1 माउस, 1 होम मीटर, 22 बैटरी तथा पुराना रिपेयर मोबाईल 8 नग कुल कीमत 30 हजार रूपये चोरी कर ले गया था। घटना के संबंध में रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

ट्रेक्टर ने सायकल सवार को कुचला

न्यायसाक्षी रायगढ। कल एक ट्रेक्टर ने सायकल सवार को कुचल दिया जिसकी तत्काल मौत हो गयी। यह हादसा सारंगढ़ के ग्राम पचपेडी का है जिसमे भगतराम सतनामी 50 वर्ष कल करीब 6:15 बजे सायकल में सारंगढ़ से पचपेड़ी आ रहा था, कि जमदार तालाब के पास सामने की ओर से आ रहा ट्रैक्टर स्वराज 735 का चालक गोर्वधन निषाद ने भगतराम सतनामी को ठोंकर मार दिया, जिससे भगतराम सतनामी की मौके पर ही मौत हो गयी, घटना के प्रत्यक्षदर्शी जगमोहन सतनामी द्वारा थाना सारंगढ़ में घटना की सूचना दी गई, जिस पर थाना सारंगढ़ में मर्ग तथा ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध धारा 304ए भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।